संख्या- 23/2021/1579/12-3-2021

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनाँक: 08 अक्टूबर, 2021**

विषय: **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अनुश्रवण व्यवस्था को प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रदेश में कृषि सेक्टर के सर्वांगीण विकास एवं कृषकों की आय की वृद्धि जिससे कि केन्द्र पोषित योजना के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय परियोजना चयन समिति (SLPSC) तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) से अनुमोदित तथा केन्द्र सरकार से अनुमोदन के पश्चात केन्द्रांश व राज्यांश स्वीकृत करते हुए विभिन्न एजेन्सियों द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है। स्वीकृत परियोजनाएं समय से पूरी हो, उनकी गुणवत्ता संतोषजनक रहे एवं वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे, इसके लिए यह आवश्यक है कि योजना के आरम्भ से गहन अनुश्रवण सुनिश्चित हो। इसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

1. कृषि निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं को विभागवार तथा जनपदवार अद्यावधिक सूची रखी जाये जिसमें योजना का प्रशासनिक विभाग, सम्बन्धित कार्यदायी संस्था, आच्छादित जनपद, स्वीकृत लागत और स्वीकृत किस्तों तथा भौतिक प्रगति का पूर्ण विवरण उपलब्ध हो।

2. जनपद स्तर पर कार्यशील योजनाओं की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी व उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराई जाये और मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त व संयुक्त कृषि निदेशक को उपलब्ध कराई जाएगी।

3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी इन योजनाओं का समय-समय पर निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे। रू0 50 लाख से ऊपर की योजनाओं को अलग से चिन्हित करते हुए शासन स्तर से नामित नोडल अधिकारियों के समक्ष रखेंगे जिससे अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के नोडल अधिकारी भी इन योजनाओं का निरीक्षण कर उनका अनुश्रवण कर सकें।

4. जनपद के उप कृषि निदेशक भी इन योजनाओं का अनुश्रवण करेंगे और समय-समय पर निरीक्षण कर यह देखेंगे कि कार्य समयबद्ध तरीके से चल रहा है और उसकी गुणवत्ता भी उचित है। किसी भी विपरीत स्थिति सामने आने पर शासन/निदेशालय को अवश्य अवगत कराएंगे जिससे उस पर अपेक्षित प्रशासनिक कार्यवाही की जा सके।

5. कृषि निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन कार्यरत अपर निदेशक व संयुक्त कृषि निदेशक, प्रत्येक को 2-3 जनपद आवंटित कर दिया जाये जहाँ वह नियमित भ्रमण कर कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा व अनुश्रवण करने हेतु प्रत्येक माह कम से कम 2 दिन का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में क्रियान्वित योजनाओं का अनिवार्य रूप से निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे।

6. निदेशालय यह सुनिश्चित करे कि अगले 2 माह में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अनुश्रवण करने हेतु एक पोर्टल विकसित हो जाए जो सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग, कार्यदायी संस्थाएं, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मण्डलायुक्त व अन्य अधिकारियों द्वारा देखा जा सके। इस पोर्टल पर कार्यदायी संस्था अपनी योजनाओं की अद्यावधिक भौतिक व वित्तीय प्रगति को भी हर माह अपडेट करेंगे।

7. निदेशालय में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से सम्बन्धित अपर निदेशक डैशबोर्ड पर आ रही सूचना के आधार पर ही वरिष्ठ स्तर की बैठकें आयोजित करेंगे।

कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये जिससे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का अपेक्षित अनुश्रवण व समयबद्ध क्रियान्वयन हो सके।

भवदीय,

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 23/2021/1579/12-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित-

1- समस्त अपर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश (द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0)।
2- समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश (द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0)।
3- कार्यदायी संस्थाएं, द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मण्डलायुक्त।

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।